



निविदा फार्म क्रमांक

1. फर्म या व्यक्ति का नाम :
2. पत्र व्यवहार (दूरभाष सहित) का पता :
:
:
3. बैंक ड्रॉफ्ट का विवरण :

क्र.	बैंक का नाम	राशि	बैंक ड्रॉफ्ट नं./ दिनांक

4. दर

क्र.	बैंक का नाम	वाहन का प्रकार	क्रय वर्ष	निविदा मूल्य

नियम एवं शर्तें :

1. वाहन जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में मूल्य दर आमंत्रित की जाती है एवं वाहन प्रदाय भी उस स्थिति में की जावेगी।
2. वाहन के लिये निविदा फार्म जमा करना अनिवार्य होगा। एक निविदा फार्म में एक से अधिक मूल्य दर अंकित किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा तथा किसी भी प्रकार की अपील अमान्य होगी।
3. निविदा फॉर्म विश्वविद्यालय के वेबसाईट से डाउनलोड किये जायेंगे। इसके लिये राशि रूपये 1,000.00 (रूपये एक हजार) मात्र का अतिरिक्त बैंक ड्रॉफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक का) जो “कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर” के नाम पर देय संलग्न करना अनिवार्य है।
4. वाहन के लिये अमानत राशि रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार) मात्र का बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉफ्ट “कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ रायपुर” के नाम से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
5. निविदा फार्म में निविदा मूल्य साफ, सुंदर और सुस्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखा जाना अनिवार्य होगा, कांट-छांट युक्त निविदा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।

6. निविदा मूल्य दर बंद लिफाफा में ही स्वीकार किया जावेगा। लिफाफा के ऊपर वाहन का प्रकार/वाहन क्रमांक लिखा जाना अनिवार्य होगा तथा कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, सेक्टर-40, नवा रायपुर, छ.ग. 493661 के पते पर प्रेषित करना होगा।
7. अधिकतम मूल्य दर प्रथम एवं द्वितीय मूल्य वाले निविदाकर्ता की अमानत राशि रोककर शेष की अमानत राशि 15 दिवस के भीतर वापस कर दी जावेगी।
8. उच्चतम बोली की कुल राशि पर 14 प्रतिशत वेट शुल्क अलग से बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा देय होगा।
9. सफल निविदाकर्ता को निविदा मूल्य राशि पचास प्रतिशत (50%) राशि का बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉफ्ट कार्यालयीन 07 दिवस के अंदर सायं 05 बजे तक जमा अनिवार्य होगा, राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुये द्वितीय अधिकतम बोली लगाने वाले को राशि जमा करने हेतु निर्देश दिये जाने हेतु विचार किया जावेगा।
10. प्रदाय आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर निविदा मूल्य की संपूर्ण राशि बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा जमा कर वाहन उठाना अनिवार्य होगा। राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में पूर्व में जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी।
11. निविदा फॉर्म दिनांक 13.10.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, सेक्टर-40, नवा रायपुर, छ.ग. 493661 में प्राप्त हो जाना चाहिए। बाद में प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
12. भरा हुआ निविदा फॉर्म दिनांक 13.10.2021 को दोपहर 03:00 बजे खोला जावेगा। निविदाकर्ता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है।
13. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, सेक्टर-40, नवा रायपुर, छ.ग. 493661 को समस्त निविदा या किसी भी निविदा का निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. निविदाकर्ता को एक माह के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर से वाहन का स्थानांतरण अपने नाम पर करना होगा अन्यथा अनाधिकृत वाहन का उपयोग करने पर जो अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी उसके लिये संबंधित निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

सहमति

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा नियम व शर्तों को भली भांति पढ़ा गया है एवं समझ लिया गया है तथा मुझे निविदा प्रपत्र में उल्लेखित अनुक्रमांक 01 से अनुक्रमांक 14 तक अंकित नियम व शर्तें मंजूर हैं।

हस्ताक्षर

नाम :

पता :

(निविदाकर्ता)

.....
.....